बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक:- 31/8/19

संख्या-ग्रा0वि0-3/स्था0-04-01/19 426900 / बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार ग्रामीण विकास पदाधिकारी सेवा के लिए अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-7 (₹44900-142400) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी (RDO) के रूप में औपबंधिक रूप से अगले छः माह के लिए नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम-8 में अंकित जिला में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु पदस्थापित किया जाता है :-

क्र. सं.	अनु-क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता	गृह जिला	जन्म तिथि	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	पदस्थापित जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	108401	सुश्री ऋचाँशा ऋजु, पिता- श्री अनिल कुमार सिंह, मो0- बिन्द टोली, शेखपुरा पो0- बी0भी0 कॉलेज, पटना, थाना- शास्त्रीनगर, जिला- पटना, पिन कोड-800014	पटना	03.11.1994	5	01-सामान्य	पश्चिम चंपारण
2	161603	श्री वैभव शुक्ल, पिता-श्री पशुपति नाथ शुक्ल, ग्राम-सिसवा बुजुर्ग, पो0-सेमरी खान कोट थाना-ढेबरूआ, जिला-सिद्धार्थनगर (उ0प्र0) पिन कोड-272192	उत्तर प्रदेश	03.12.1994	227	01-सामान्य	वैशाली
3	111122	श्री बिपुल भारद्वाज, पिता-श्री राम नंदर सिंह, ग्राम+पो0-शरमा, थाना- तेतरहट, जिला- लखीसराय पिन कोड-811311	लखीसराय	03.09.1990	256	01-सामान्य	पूर्वी चम्पारण

क्र. सं.	अनु-क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता	गृह जिला	जन्म तिथि	मेघा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	पदस्थापित जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
4	196364	श्री अभिमन्यु कुमार, पिता- श्री यदुनंदन प्रसाद, ग्राम+पो0 माधोपुर, थाना-बख्तियापुर, जिला-पटना पिन कोड-803212	पटना	01.03.1986	267	01-सामान्य	अररिया
5	279372	श्री निशांत कुमार, पिता-श्री शंकर प्रसाद, ग्राम+पो0-लगार, थाना-परवत्ता, जिला- खगड़िया, पिन कोड-851216	खगड़िया	05.01.1981	274	01-सामान्य	दरभंगा
6	100114	श्री दीपेश कुमार, पिता-श्री शिवदानी शर्मा, ग्राम+पो0- माफो, थाना-मेहुस, जिला-शेखपुरा, पिन कोड-811102	शेखपुरा	03.02.1991	277	01-सामान्य	पूर्णियाँ
7	109775	श्री अजय कुमार, पिता-श्री बाल कृष्ण यादव, ग्रा+पो0-सिमराहा, थाना- सहरसा, जिला- सहरसा, पिन कोड-852201	सहरसा	05.02.1991	280	05-पि0व0	मधुबनी
8	130131	सुश्री गीता, पिता-श्री राधे प्रसाद, ग्रा0+पो0-कोरारी, थाना-बेलछी, जिला- पटना, पिन कोड-803110	पटना	27.04.1984	391	06-पि0व0म0	मधेपुरा
9	173146	श्रीमती पल्लवी सागर, पिता- श्री रास बिहारी प्रसाद सिंह, ग्रा0+मो0-हनुमानगर, पो0- लोहियानगर, थाना-पत्रकार नगर, जिला- पटना, पिन कोड-800020	पटना	02.11.1986	393	06-पि0व0म0	नालंदा

000RDO औपबंधिक नियुक्ति 31.05.1900

क्र. सं.	अनु-क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता	गृह जिला	जन्म तिथि	मेघा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	पदस्थापित जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
10	135770	सुश्री प्रियंका कुमारी, पिता-श्री शिवशंकर पंडित, ग्राम-मधुवन, पो0-गुलवारा मधुवन, थाना-मधुवन, जिला-पूर्वी चम्पारण, पिन कोड-845420	पूर्वी चम्पारण	10.05.1995	433	04-अ0पि0व0	भागलपुर
11	150797	श्री प्रतीक राज, पिता- श्री विरेन्द्र सिंह, ग्राम-पो0- लाखो, थाना-मुफ्फसिल, जिला-बेगुसराय, पिन कोड-851129	बेगुसराय	31.10.1994	446	04-अ0पि0व0	मुजफ्फरपुर
12	207630	सुश्री लवली कुमारी, पिता-रामनंद प्रसाद, ग्राम-खैरा गढ़िया, पो0-खगरा चंदा, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया, पिन कोड-854335	अररिया	02.02.1995	480	02-अ0जा0	सारण

2. पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में उपर्युक्त सभी अभ्यर्थी की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त्त के साथ अगले छः माह के लिए की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर उनकी सेवा तत्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी । छः माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस औपबंधिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा अगले छः माह के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर तब तक विस्तारित होता रहेगा, जब तक कि प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाय ।

3. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी ।

4. सभी नियुक्त अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी ।

5. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 21.08.2005 एवं पत्रांक- 768 पे0को0 दिनांक- 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

6. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे मूल रूप में संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा ।

7. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक- 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा-पत्र योगदान देने के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे ।

8. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

9. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान देने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

10. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अंतर्गत सेवारत है, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे । अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनियार्व होगा ।

11. इसमें सरकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

31/05/19

(आरती)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 426900 दिनांक:- 31/5/19

ग्रा0वि0-3/स्था0-04-01/19

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

31/05/19

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 426900 दिनांक:- 31/5/19

ग्रा0वि0-3/स्था0-04-01/19

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि उपरोक्त कंडिका-02 में यथा उल्लिखित शर्त्तों के आलोक में औपबंधिक रूप से नियुक्त ग्रामीण विकास पदाधिकारी का वेतन पूर्जा योगदान की तिथि से अगले छः माह के लिए निर्गत किया जाय ।

31/05/19

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 426900 दिनांक:- 31/5/19

प्रतिलिपि- मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ उप मुख्यमंत्री को कोषांग, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / महाधिवक्ता, बिहार, पटना/ महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास, बिहार, पटना/ सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त/

सभी संबंधित जिला पदाधिकारी / सभी संबंधित उप विकास आयुक्त / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी तथा सभी प्रशाखा पदाधिकारी (चरित्री कोषांग सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे अपने जिला में पदस्थापित अभ्यर्थियों की योगदान की स्वीकृति उपरोक्त शर्त्तों के तहत् स्वयं संतुष्ट होकर करेंगे तथा योगदान प्रतिवेदन विभाग को भेजने की कृपा करेंगे ।

3. नवनियुक्त ग्रामीण विकास पदाधिकारी पदस्थापित जिलें में योगदान देने के पश्चात् बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना द्वारा दिनांक- 07.06.2019 से निर्धारित सांस्थिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

4. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि अपने जिला में पदस्थापित ग्रामीण विकास पदाधिकारी को दिनांक-07.06.2019 से बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना में आयोजित सांस्थिक प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु दिनांक-05.06.2019 के अपराह्न निश्चित रूप से विरमित करेंगे ।

31/05/19

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- ५२६९००   दिनांक:- ३१/५/१९

प्रतिलिपि- श्री/श्रीमती ....

पिता/ पति का नाम ....

ग्राम/मो0- .... पोस्ट.. थाना .... जिला .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. आपको निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब अपना योगदान निश्चित रूप से संबंधित जिला पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेंगे तथा दिनांक-07.06.2019 से निर्धारित सांस्थिक प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु दिनांक- 05.06.2019 के अपराह्न से विरमित होने के पश्चात् दिनांक- 06.06.2019 को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना के कार्यालय में योगदान समर्पित करेंगे ।

31/05/19

विशेष कार्य पदाधिकारी

Photograph